42

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरावलोकन

1. अयोध्याप्रसाद पुत्र राजाराम [मृत]
2. रमेश कुमार पुत्र अयोध्याप्रसाद

निवासीगण ग्राम–ऐराया तहसील–भितरवार

जिला–ग्वालियर म.प्र.

विरूद्ध

1. टुकरिया पुत्र ग्यासिया जाटव (मृत वारिसान)
   (1) रामसिंह पुत्र टुकरिया
   (2) भारत सिंह पुत्र टुकरिया
   (3) यशोदा पत्नी टुकरिया
2. जीवनलाल पुत्र ओछा जाटव (मृत वारिसान)
   (1) बाबूलाल पुत्र जीवनलाल
3. अन्तराम पुत्र ओछा जाटव (मृत वारिसान)
   (1) रामहेत पुत्र अन्तराम
   (2) गोकुल पुत्र अन्तराम
   (3) उत्तम पुत्र अन्तराम
4. रामशरण पुत्र ओछा जाटव

   निवासीगण ग्राम ऐराया तहसील–भितरवार

   जिला–ग्वालियर
5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

   जिला–ग्वालियर

श्री ... द्वारा आज दि. 11-4-17 को प्रस्तुत

11-4-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 271–पीबीआर/2006 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 25/01/2017 के विरूद्व पुनरावलोकन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1150–पीबीआर/2017 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–6–2017	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 271–पीबीआर/2006 में पारित आदेश दिनांक 25–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। धारक दुर्गा बाई की मृत्यु की स्थिति में म0प्र0 कृषि जोत खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 15 के अनुसार गणना कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	